

प्ररूप अ.डि.-3
प्रतिकथन का प्ररूप
(धारा 11(2), नियम 34, 64)
(तीन प्रतियों में भरा जाए)

अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन सं.....
के प्रति ⁴विरोध/रद्दकरण सं..... के मामले में

मैं/हम⁴..... उपर्युक्त अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन के
रजिस्ट्रीकरण/रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी के लिए इसके द्वारा सूचना देता हूँ/देते हैं कि निम्नलिखित
आधार हैं जिनका मैं/हम मेरे/हमारे आवेदन के लिए आश्रय लेता हूँ/लेते हैं।

.....
मैं/हम ⁴विरोध/रद्दकरण की सूचना में निम्नलिखित अभिकथनों को स्वीकार करता हूँ/करते हैं।

.....
इन कार्यवाहियों के संबंध में सभी पत्राचार भारत² में निम्नलिखित पते पर किया जाए।

.....
आज तारीख..... मास..... 20.....

³

सेवा में,

1. पूरा नाम तथा पता बताएँ। यदि विरोधकर्ता का भारत में कारबार का या निवास का कोई स्थान नहीं है तो भारत में तामील के लिए कोई पता बताएँ।
2. केवल ऐसे विरोधकर्ता द्वारा बताया जाए जिसने भारत में अपने कारबार का मुख्य स्थान का या निवास का पता दिया है किंतु विरोध की कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए भारत में उस पते से भिन्न कोई अन्य पता देना चाहता है।
3. आवेदक या उसके अभिकर्ता (विधि व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ता या आवेदक के एकमात्र और नियमित नियोजन में व्यक्ति। धारा 84 देखें) के हस्ताक्षर जो लागू न हो उसे काट दें।
5. अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण या समनुदेशन या पारेषण के मामले में प्रतिकथन अभिन्यास डिजाइन अपील बोर्ड को संबोधित किया जाएगा (नियम 69 देखें) और रजिस्ट्रीकरण का विरोध करने के मामले में अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रार को संबोधित किया जाएगा (नियम 33(2) देखें)।